




कार्यालय सहायक संचालक,  
नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अम्बिकापुर (छ.ग.)



Asst. Director of Town & Country Planning, Reg. Office Ambikapur (C.G.)

पता:-  
पूराना रोजगार कार्यालय रिंग रोड  
नमनाकला अम्बिकापुर (छ.ग.)  
Email  
[townplanambikapur@gmail.com](mailto:townplanambikapur@gmail.com)  
Telephone:-07774220156

Address:-  
Old imply office ring road namanakalan  
ambikapur (C.G.)  
[townplanambikapur@gmail.com](mailto:townplanambikapur@gmail.com)  
Telephone:-07774220156

क्रमांक/2019/नगानि/धारा-29/पी.एल -07/2018

अम्बिकापुर, दिनांक 24.10.2019

प्रति,

श्री के०एन० सिंह  
आ० स्व० आर०बी० सिंह  
निवासी-केदारपुर, अम्बिकापुर  
जिला- सरगुजा (छ०ग०)

विषय:- विकास अनुज्ञा बावत्।

संदर्भ:- आपका आवेदन इस कार्यालय का आवक क्रमांक 680 दिनांक 23.03.2019।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित आवेदन पत्र में यथावर्णित भूमि ग्राम अम्बिकापुर, शीट नं०-09, रा०नि०मं०-अम्बिकापुर, तह०-अम्बिकापुर, जिला - सरगुजा (छ०ग०) स्थित भूमि का प्लॉट नं०-3467/4866/166 रकबा 3956.32 व०मी० भूमि पर संलग्न अभिन्यास में दर्शाये अनुसार आवासीय प्रयोजन (भूखण्डीय विकास) उपयोग/विकास को कार्यान्वित करने हेतु विकास अनुज्ञा छ०ग० नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 की धारा 30 (3) एवं छ०ग० भूमि विकास नियम-1984 के नियम 27 के तहत निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती है :-

1. अनुज्ञा इस आधार पर दी जाती है कि आवेदित भूमि आवेदक के पूर्ण स्वामित्व एवं आधिपत्य में है। स्वामित्व संबंधी विवाद के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। सारभूत तथ्य के संबंध में कोई असत्यता पाये जाने पर यह अनुज्ञा प्रतिसंहत की जा सकेगी।
2. भूमि का व्यपवर्तन राजस्व विभाग से कराना आवश्यक है।
3. किसी भी स्थिति में विकास हेतु तकनीकी अभिमत के विरुद्ध कोई विकास/निर्माण न किया जावे।
4. परिसर में आवश्यक सुविधाओं जैसे जल आपूर्ति, मल निकास, सोकपिट, सेप्टिक टैंक, मार्गों का विकास, 10% खुले स्थानों का विकास एवं विद्युतीकरण, नाली का निर्माण इत्यादि आवेदक को करना आवश्यक होगा।
5. स्थल पर अभिन्यास अनुसार सीमांकन कराया जाकर सीमांकित अभिन्यास का सत्यापन इस कार्यालय से कराया जाना आवश्यक है।
6. अम्बिकापुर विकास योजना (2021) में पहुंच मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मी. आवेदित भूखण्ड से लगकर अंकित है जिसे मार्ग मध्य से 06.00 मी. छोड़कर भूखण्ड रेखा होगी।
7. छ०ग० नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 33 में विहित प्रावधानों के अनुसार यह विकास हेतु तकनीकी अभिमत/स्वीकृति दिनांक 24.10.2019 से एक वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्धारित कालावधि में विकास निर्माण कार्य पूर्ण न होने पर इस विकास हेतु तकनीकी अभिमत को वर्षानुवर्ष विधिमान्य कराना होगा, जिसकी कुल अवधि प्रथम अनुज्ञा दिनांक 24.10.2019 से अधिकतम तीन वर्षों तक प्रभावशील रहेगी।
8. भवन निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय से प्राप्त करना आवश्यक है।
9. इस अनुज्ञा का यह आशय नहीं है कि प्रश्नाधीन भूमि शासकीय या अर्ध-शासकीय विभागों से प्राप्त की जाने वाली अनुमतियों से मुक्त है। अर्थात् यदि किसी प्रकार की अनुमति आदि प्राप्त करना हो तो ऐसी अनिवार्यता, इस विकास हेतु तकनीकी अभिमत/अनुज्ञा से प्रभावित नहीं होगी।
10. आवेदित भूखण्ड खसरा नम्बर 3467/4866/166 रकबा 3956.32 व०मी० पर कॉलोनी के विकास हेतु नियम 8 के अंतर्गत प्रस्तावित कॉलोनी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु भूमि आरक्षण के एवज में आवेदक द्वारा

कार्यालय नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर जिला-सरगुजा(छ.ग.)

प्रारूप-नौ

(नियम 11 देखिए)

कॉलोनी विकास की अनुमति


दिनांक २४/०१/२०२०

अनुमति क्रमांक ३२

छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 / छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम तथा नगर पालिका (कॉलोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें) नियम 2013 के अधीन निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन रहते हुये श्री कृष्णानंद सिंह आ. स्व. आर.बी. सिंह, केदारपुर, अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ.ग. के खसरा नं. 3467/4866/166 रकबा 3956.32 वर्गमीटर पर नगर अम्बिकापुर सत्तीपारा, शीट नं.-09, रा.नि.मं. अम्बिकापुर, तहसील-अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा (छ.ग.) स्थित आवासीय प्रयोजन (भूखण्डीय विकास) कॉलोनी विकास कार्य प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

1. शहरी भूमि सीमा अधिनियम, 1976 के प्रावधानों के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के उल्लेखित शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा।
2. छ.ग.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्राप्त विकास अनुज्ञा की शर्तों का पालन करना होगा।
3. इस अनुमति के संबंध में किसी नियम/प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो यह अनुमति शुन्य मानी जाएगी।
4. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 7-8/2011/18 दिनांक 11.12.2015 अनुसार निम्न आय वर्ग का आरक्षण एवं आबंटन किया जावेगा।
5. प्रकरण से संबंधित किसी भी दस्तावेज में कूट रचना या अप्रमाणक होने की स्थिति में यह अनुज्ञा स्वतः शुन्य हो जावेगी।
6. स्थल पर प्रस्तावित आंतरिक विकास कार्य के अतिरिक्त अन्य विकास कार्य किये जाने की स्थिति में इसकी सूचना निकाय को कार्य प्रारम्भ के पूर्व दिया जावेगा।



  
आयुक्त  
नगर पालिक निगम,  
अम्बिकापुर

Certification No. QMS-F07183



# Certificate of Registration

*This is to certify that the Quality Management System of*

## **Vasundhara Builders**

**Near Nagar Nigam office, Ambikapur, Surguja (C.G), India**

*Has been assessed Successfully by **SMR** and  
Conforms with the following standard:*

**ISO 9001:2000**

*Scope of Registration*

**Providing Construction and Development of Real Estate  
Infrastructure**

**Valid : 28 June. 2007 ~ 27 June. 2010**

**28th June 2007**

*Sanjcho*

JAS-ANZ



SMR is accredited by the JAS-ANZ  
Acc. No. S2400102KS



#60-24, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul, Korea T +82-2-867-2777

*President*



फर्म के रजिस्ट्रीकरण की पावती  
प्रपत्र - IX  
(देखें नियम - 11(अ))

संदर्भ क्रमांक: 3285466007

क्रमांक: 222202095252

फर्मों के पंजीयक, छत्तीसगढ़, एतद्वारा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 58 (1) द्वारा निर्धारित विवरणी प्राप्त होने की पावती प्रदान करते हैं।  
विवरणी को फर्मों की पंजी में प्रविष्ट कर लिया गया है यथा; नाम M/S VASUNDHARA BUILDERS मत्त 12/06/2020



अजय चौबे  
फर्मों के रजिस्ट्रार

दिनांक 12/06/2020

M/S M/S VASUNDHARA BUILDERS,  
NEAR NAGAR NIGAM PANI TANKI, KEDARPUR, PO. AMBIKAPUR, DISTT: SURGUJA (C.G.),  
Ambikapur, Surguja, छत्तीसगढ़

This is computer generated acknowledgement. This acknowledgement can be verified online at <http://rfas.cg.nic.in/> through Certificate No. and Date of Registration

Digitally signed by AJAY CHOUBEY  
Date: 2020.06.12 15:14:01 +05'30'  
Reason: For Issuing Registration of New Firm  
Location: Surguja Sambhag



# Chhattisgarh Real Estate Regulatory Authority

RAIPUR

FORM-C

See Rule 6(1)

## REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

This registration is granted under section 5 of the Promoter (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016) to the following project under project registration number PCGRERA131120001162 :

PARK RESIDENCY PHASE -4 (GROUP HOUSING)  
VILLAGE -AMBIKAPUR ,TEHSIL-AMBIKAPUR ,DIST- SARGUJA  
1. VASUNDHARA BUILDERS having its registered office/principal place of business at VILLAGE -  
NAMNAKALA, AMBIKAPUR, SURGUJA (C.G.)

2. This registration is granted subject to the following conditions namely:-

- (i) The Promoter shall enter into an agreement for sale with the Allottees as Provided in Annexure 'A'.
- (ii) The Promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the Allottee or the association of the Allottees , as the case may be, of the apartment or the common areas as per section 17;
- (iii) The Promoter shall deposit seventy percent of the amounts realized by the Promoter in a separate account to be maintained in a scheduled bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per sub clause(D) of the clause (1) of sub section(2) of section 4;
- (iv) The registration is valid for a period of 4 years 10 month 13 day commencing from 13-Nov-2020 and ending with 30-Sep-2025 unless renewed by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with Section 6 read with rule 7.
- (v) The Promoter shall comply with provisions of the Act and the rules and regulations made thereunder;
- (vi) The Promoter shall not contravene the provisions of any other law for the time being in force in the area where the project is being developed.

3. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the Promoter, The Real Estate Regulatory Authority may take necessary action against the Promoter including revoking the registration granted herein, as per the Act and the rules and regulations made thereunder.

Dated:- 13-Nov-2020.  
Place- Raipur.

(Dr. Anupriya Mishra)  
Registrar  
RERA, Chhattisgarh

